अभिप्रमाणित
उपायुक्त उत्पाद (मु0)
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
झारखण्ड, राँची

सहायक आयुक्त ... धनबाद–826001

उत्पाद प्रपत्र संख्या–I B

विदेशी शराब (बीयर एवं वाईन सहित) भण्डारण एवं बिक्री के लिए थोक अनुज्ञप्ति जिसके तहत कॉरपोरेशन के गोदाम से जिला के खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों को आपूर्ति हो ।

(केवल झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0, राँची के लिए)

जिला का नाम – धनबाद

रजिस्टर सं0 01 में लाइसेंस सं0 08/2012-2013

लाइसेंस की तारीख 23/11/2012 से 31.03.2013 तक के लिए दिनांक 12.11.2012 को निर्गत ।

अनुज्ञाधारी का नाम सर्वश्री झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची ।

लाईसेंस अवधि 23/11/2012 से 31.03.2013 तक चालू

बिक्री गोदाम का स्थान पांडेयडीह, पण्डुकी

चौहद्दी :→
उत्तर – नीज खाली जमीन
दक्षिण – राजू आयसवाल का मुर्गी फार्म
पूरब – नीज रास्ता
पश्चिम – ग्रामीण रास्ता

चौहददी..

वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस 42,00,000/रु. [अनुज्ञप्ति अवधि के लिए समानुपातिक अनुज्ञप्ति फीस –

अग्रिम रूप में भुगतान रू0 14,72,877/-रु. [चौदह लाख बहत्तर हजार आठ सौ सतहत्तर रुपये]
चालान सं0 - 01 दिनांक 09.11.2012 ।
एवं
11,507/-रु. [ग्यारह हजार पाँच सौ सात रुपये]
चालान सं0 - 63 दिनांक 12.11.2012 ।
कुल 14,84,384=00रु.

विदित हो कि सर्वश्री झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0 को जिला के उपायुक्त दिनांक 23/11/2012 से 31 मार्च, 2013. तक पेय विदेशी शराब के भण्डारण एवं थोक बिक्री के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं, ताकि जिला के खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों को इसकी आपूर्ति हो सके ।

1– इस लाइसेंस के चालू रहने की शर्त्त के रूप में लाईसेंसधारी से अपेक्षा की जाती है कि वह निम्नलिखित अनुच्छेदों और सभी उत्पाद शुल्क लाईसेंसों पर लागू सामान्य शर्त्तों का सम्यक रूप से और निष्ठापूर्वक पालन करेगा और उसके अनुसार कार्य करेगा ।

2– झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड राज्य सरकार को जिला के लिए स्वीकृत अनुज्ञप्ति के लिए अग्रिम के रूप में वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस रू0........................

अनुज्ञप्ति-
उपायुक्त उत्पाद (मु0)
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
झारखण्ड, राँची

का भुगतान करेगा । वह वार्षिक अनुज्ञाशुल्क का भुगतान संबंधित जिला स्थित कोषागार/उप कोषागार में करेगा ।

3– (क) अनुज्ञाधारी किसी भी खुदरा विक्रेता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा ।

(ख) अनुज्ञाधारी इस लाईसेंस के अधीन अमिश्रित सादा स्पिरिट या परिशोधित स्पिरिट नहीं बेचेगा ।

4– अनुज्ञाधारी अनुज्ञप्ति परिसर में मद्यपान नहीं करने देगा ।

5– अनुज्ञाधारी इस लाईसेंस के अधीन 25 डिग्री यू0पी0 शक्ति से कम शक्ति का व्हिस्की, ब्राण्डी, वोदका, रम एवं जीन का बिक्री नहीं करेगा ।

6– अनुज्ञाधारी इस लाईसेंस के अधीन अनुमोदित परिसर के अलावे कहीं और बिक्री हेतु विदेशी शराब/बीयर संचय नहीं करेगा वशर्त्ते कि इसके लिए आयुक्त उत्पाद द्वारा विशेष अनुमति प्रदान की गयी हो ।

7– अनुज्ञाधारी विदेशी शराब/बीयर उधार नहीं बेचेगा/एवं थोक बिक्री हेतु इसका पर्याप्त स्कन्ध बनाये रखेगा ।

8– अनुज्ञाधारी मदिरा एवं उसके लेबुल की प्रकृति में कोई परिवर्त्तन नहीं करेगा जिसकी भण्डारण की गई हो ।

9– अनुज्ञाधारी अनुज्ञप्ति परिसर में विदेशी शराब/बीयर के स्कन्ध एवं बिक्री का पूरा ब्यौरा प्रतिदिन लेखा पंजी में अंकित करेगा । समय–समय पर निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा इसकी जाँच की जा सकेगी

10– अनुज्ञाधारी किसी को भी जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद द्वारा निर्गत पास के बिना मदिरा की बिक्री नहीं करेगा ।

11– अनुज्ञाधारी अनुज्ञप्ति परिसर में मदिरा के पेटियों को ब्राण्डवार इस प्रकार संग्रहित करेगा कि उसे निरीक्षण के समय सत्यापन में सहुलियत हो ।

12– अनुज्ञाधारी किसी भी ब्राण्ड की सात पेटी से अधिक पेटियों को एक के ऊपर एक नहीं रखेगा ।

13– अनुज्ञाधारी की शर्त्तों के उल्लंघन के लिए उत्पाद अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जा सकेगा ।

अभिप्रमाणित
उपायुक्त उत्पाद (मु०)
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
झारखण्ड, राँची

सहायक आयुक्त उत्पाद
धनबाद
31/3/13

14— अनुज्ञाधारी गोदाम के कार्य करनेवाले प्रबन्धन एवं कार्य करनेवाले अन्य प्राधिकृत व्यक्तियों की सूची आयुक्त उत्पाद को देना सुनिश्चित करेगा ।

15— अनुज्ञाधारी समय–समय पर आयुक्त उत्पाद द्वारा निर्गत सामान्य तथा विशेष निर्गत अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा ।

16— अनुज्ञाधारी उत्पाद अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनायी गयी नियमावली का अनुपालन करेगा तथा उससे आबद्ध रहेगा ।

17— अनुज्ञाधारी राज्य में लागू सभी संबंधित विधि/नियम/अधिसूचना/संकल्प एवं अनुदेश का पालन सुनिश्चित करेगा ।

18— अनुज्ञाधारी राजस्व पर्षद् द्वारा अधिसूचित शुष्क दिवस को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा ।

टिप्पणी :– ऊपर लिखित किन्हीं शर्त्तो या उत्पाद शुल्क लाईसेंसों पर लागू सामान्य शर्त्तो का उल्लंघन होने पर यह लाईसेंस जप्त कर दिया जायेगा और लाईसेंसधारी विधि या नियम द्वारा विहित सभी या किन्हीं दण्ड का भागी होगा ।

स्थान — उपायुक्त धनबाद का संचिका आदेश दिनांक 09.11.2012 के आलोक में

तिथि— दिनांक 23.11.12 से 31.3.13 तक के लिए अनुज्ञप्ति निर्गत ।

12/11/12
सहायक आयुक्त उत्पाद
उपायुक्त ।

प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0, राँची द्वारा प्राधिकृत गोदाम मैनेजर/ विक्रेताओं की सूची

जिला	नाम	पिता का नाम	उम्र	स्थायी पता	गोदाम मैनेजर/ विक्रेता का हस्ताक्षर	लाईसेंसधारी/अनुज्ञाधारी के प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर

उपायुक्त, धनबाद के संचिका आदेश दिनांक 4/4/16 द्वारा अनुज्ञप्ति वर्ष 2016-17 के लिये नवीकृत
4.4.16
सहायक आयुक्त उत्पाद, धनबाद।

उपायुक्त, धनबाद के संचिका आदेश दिनांक 31/3/2014 के आलोक में अनुज्ञप्ति वर्ष 2014-15 हेतु नवीकृत
31/3/14
सहायक आयुक्त उत्पाद
धनबाद

उपायुक्त, धनबाद के संचिका आदेश दिनांक - 26/3/15 के आलोक में वर्ष अनुज्ञप्ति वर्ष-2015-16 के लिए नवीकृत
31/3/15
सहायक आयुक्त उत्पाद
धनबाद

अनिग्रमाणित
उपायुक्त उत्पाद (मु०)
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
झारखण्ड, राँची

सहायक आयुक्त उत्पाद
धनबाद-826001

प्रतिलेख एकरारनामा

सर्वश्री..ऊपर नामित अनुज्ञाधारी इसमें इसके पूर्व लिखित और व्यक्त बंधेजों और शर्तों के निर्वहन और पालन करने के लिए अपनी ओर से और अपने अधिकृत प्रतिनिधियों की ओर से करार करता हूँ और अपने को आबद्ध करता हूँ ।

तारीख :--

साक्षी :-- हस्ताक्षर

पता

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 440--150+200 ।

उत्पाद प्रपत्र--27 ड़

झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत धनबाद जिला में देशी/मसालेदार देशी शराब के भण्डारण एवं थोक बिक्री की अनुज्ञप्ति

(केवल झारखण्ड राज्य ब्रिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0, राँची के लिए)

इसके द्वारा झारखण्ड राज्य बिवरेजजे कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची, जिन्हें इसमें अनुज्ञाधारी कहा गया है, को धनबाद जिला की देशी शराब/मसालेदार देशी शराब/कम्पोजिट दुकान के अनुज्ञाधारियों को देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की थोक आपूर्ति के लिए झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा--20 के उपबन्दों एवं इसमें आगे बताई गई शर्तो के अधीन उपायुक्त के द्वारा दिनोंक--**01.4.2013** से **31.3.2014** के लिए निम्नांकित शर्तो के तहत अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है, यथा--

शर्त

1-- इस अनुज्ञप्ति के अधीन बेची गई शराब आयुक्त उत्पाद द्वारा विहित मानक के अनुसार औसतन अच्छी किस्म की होगी।

2-- अनुज्ञाधारी झारखण्ड उत्पाद अधिनियम 1915 के उपबन्ध एवं उसके अधीन बनाई गई नियम से जहाँ तक उनका उनसे संबंध हो आबद्ध रहेगा।

3-- अनुज्ञाधारी जिस जिला के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा उस जिला हेतु निर्धारित देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की थोक बिक्री के पूर्व जिला के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर रू0-- 2/-- प्रति एल0पी0लीटर की दर से अनुज्ञप्ति शुल्क एकमुश्त अग्रिम जमा करेगा। यदि वित्तीय वर्ष में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक आपूर्ति होती है तो न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक की गयी आपूर्ति की मात्रा पर उपरोक्त दर से थोक अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगा।

4-- जिस जिला के लिए झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा उस जिला हेतु विनिर्दिष्ट प्रक्षेत्र के अनन्य विशेषाधिकार प्राप्त विनिर्माणशाला के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पास के जरिए विनिर्माणशाला से झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के गोदाम में देशी शराब/मसालेदार देशी शराब का परिवहन किया जायेगा।

5-- इस अनुज्ञप्ति के अधीन देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की बिक्री केवल उन्हीं व्यक्तियों/अनुज्ञप्ति प्राप्त खुदरा विक्रेताओं के साथ की जाएगी जो जिले के अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद द्वारा हस्ताक्षरित पारक प्रस्तुत करेंगे।

6-- इस अनुज्ञप्ति के अधीन देशी शराब/मसालेदार देशी शराब का संचय एवं बिक्री के लिए मदिरा का निर्गमण प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जाएगा। अनुज्ञाधारी उनकी सहायता के लिए प्रत्येक थोक गोदाम में अपना प्रतिनिधि/कर्मचारी रखेगा जहाँ से खुदरा अनुज्ञाधारियों को निर्धारित दर पर देशी शराब/मसालेदार देशी शराब का निर्गमण जिला उत्पाद कार्यालय से निर्गत पारक के आधार पर किया जाएगा।

अभिप्रमाणित

उपायुक्त उत्पाद (मु०)
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
झारखण्ड, राँची

अभिहस्ताक्षरित
उपायुक्त उत्पाद (मुख्यालय)
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
झारखण्ड, राँची

7– देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा क्रय किये गये शराब के मूल्य की राशि का भुगतान झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को किया जाएगा तथा प्राप्त राशि के बदले झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा प्राप्ति रसीद निर्गत की जाएगी।

8– इस अनुज्ञप्ति के अधीन बेची जानेवाली देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की शक्ति वही होगी जैसा कि राजस्व पर्षद, झारखण्ड समय–समय पर नियत करें।

9– अनुज्ञाधारी द्वारा इस अनुज्ञप्ति के अधीन देशी शराब/मसालेदार देशी शराब का वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के आधार पर न्यूनतम 15 दिनों का स्कन्ध हमेश रखा जाएगा। विशेष परिस्थिति में इस संबंध में विचलन आयुक्त उत्पाद के आदेश से ही सम्भव होगा। जब कभी विहित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से कम स्कन्ध शीघ्र पूरा कर देगा। यदि अनुज्ञाधारी जिला के भण्डागार के प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी से ऐसा करने के लिए सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के अन्दर ऐसा नहीं करता है तो वह ऐसे दण्ड का भागी होगा जैसा आयुक्त उत्पाद द्वारा ठीक समझा जाएगा।

10– अनुज्ञाधारी से अपेक्षा की जाती है कि वह उत्पाद अनुज्ञप्ति पर लागू सामान्य शर्तों का सम्यक रूप से और निष्ठा पूर्वक पालन करेगा।

11– अनुज्ञाधारी आयुक्त उत्पाद द्वारा समय–समय पर निर्गत किये जानेवाले सभी सामान्य एवं विशेष आदेश से आवद्ध रहेगा।

12– अनुज्ञाधारी देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की बिक्री का लेखा–जोखा अलग–अलग रखेगा एवं खुदरा विक्रेता के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।

13– अनुज्ञाधारी अनुज्ञप्ति परिसर में मद्यपान की अनुमति प्रदान नहीं करेगा।

14– अनुज्ञाधारी देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।

15– अनुज्ञाधारी राज्य में लागू सभी संबंधित विधि/नियम/अधिसूचना/संकल्प एवं अनुदेश का पालन सुनिश्चित करेगा।

16– अनुज्ञाधारी राजस्व पर्षद द्वारा अधिसूचित शुष्क दिवस को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।

17– अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन के लिए उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।

(हस्ताक्षर) 31/3/13
उपायुक्त
सहायक आयुक्त उत्पाद
धनबाद

उपायुक्त, धनबाद के संचिका आदेश दिनांक 31/3/2014 के आलोक में अनुज्ञप्ति वर्ष 2014-15 हेतु नवीकृत
(हस्ताक्षर) 31/3/14
सहायक आयुक्त उत्पाद
धनबाद

उपायुक्त, धनबाद के संचिका आदेश दिनांक 4/4/2016 द्वारा अनुज्ञप्ति वर्ष 2016-17 के लिये नवी.
(हस्ताक्षर) 4/4/16.
सहायक आयुक्त उत्पाद,
धनबाद।

उपायुक्त, धनबाद के संचिका आदेश दि० -26/3/15 के आलोक में अनुज्ञप्ति वर्ष-2015-16 हेतु नवीकृत।
(हस्ताक्षर) 31/3/15
सहायक आयुक्त उत्पाद
धनबाद